न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :— श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 93/2024

जीसीएमएस नं. :— 2024/145

प्रार्थीया :—
मैना पुत्री केवलराम जाति माली
निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़
शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :—
तहसीलदार, तहसील कार्यालय
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

दर्ज दिनांक :— 15.05.2025

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थीया की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

"आदेश"

दिनांक : 21/8/25

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि राजस्व ग्राम पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीया के पिता केवलराम खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1178/2 क्षेत्रफल 0.2508 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 463 व पूराना 434 पर इन्द्राजशुदा है जिसको आगे प्रार्थनापत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत मे नकल जमाबन्दी 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में प्रार्थीया के पिता केवलराम पुत्र रामूराम कौम माली के नाम से दर्ज रही है। प्रार्थीया के पिता केवलराम के स्वर्गवास बाद वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया मैना, ढगलाराम, पपुराम, प्रकाश पिसरान केवलराम, सुखी पत्नि केवलराम, जैना पुत्री केवलराम जरिये फोतेदगी नामान्तकरण संख्या 3041 के नाम अमलदरामद किया गया जो नामान्तकरण संख्या 3041 व उत्तरोत्र चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2052—55 के अवलोकन से स्पष्ट है जिसकी प्रतियाँ संलग्न है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में स्व. केवलराम के सातो वारिशान का नाम इन्द्राज रहा है तथा वादग्रस्त आराजी स्व. केवलराम के वारिशान 1/7—1/7 हिस्सें अनुसार काबिज काश्त रहे है। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियों की भूलवश सहवन से प्रार्थीया की मैना पुत्री केवलराम का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही हुआ जबकि नामान्तकरण संख्या 3041 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में केवलराम के फोत होने पर प्रार्थीया व उसके भाईयो—बहिनो व माता का नाम इन्द्राज हो रखा है। मामला प्रथम दृष्ट्या रेकर्ड दुरूस्ती का है। वादग्रस्त आराजी में भुलवश प्रार्थीया मैना पुत्री केवलराम का नाम इन्द्राज होने से रह गया है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है व वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया का

नाम इन्द्राज नही किया हुआ है जो सहवन से रह गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीया का नाम वादग्रस्त आराजी मे केवलराम के वारिशानो के साथ इन्द्राज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीया को पुर्व में उक्त इन्द्राज की जानकारी नही रही, अभी हाल ही में प्रार्थीया ने दिनांक 14.05.2024 को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई की वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीया मैना पुत्री केवलराम का नाम ही इन्द्राज नही है। प्रथम दृष्टया मामला रेकर्ड दुरूस्ती का है एवं प्रार्थनापत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है व अन्दर म्याद पेश है।अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1178/2 क्षेत्रफल 0.2508 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाया जाकर प्रार्थीया मैना पुत्री केवलराम का नाम स्व. केवलराम के वारिशानो के साथ साथ इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमावें ।

हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम पीपाड़ शहर के नामान्तरण सं. 3041 एवं हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थीया का नाम वादग्रस्त आराजी में इनके पिता केवलराम पुत्र रामूराम की मृत्यु के नामान्तरण से दर्ज हुआ है कालान्तरण में नवीन रेकर्ड तैयार करते समय मानवीय त्रुटीवंश प्रार्थीया का नाम वादग्रस्त आराजी में दर्ज होने से छुट गया हैं। अतः पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1178/2 रकबा 0.2508 हैक्टयर में प्रार्थीया मैना पुत्री केवलराम का नाम इनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर, प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1178/2 रकबा 0.2508 हैक्टयर में प्रार्थीया मैना पुत्री केवलराम का नाम इनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 21/8/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर